रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 3, 1988/भाद्र 12, 1910
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 3, 1988/BHADRA 12, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1988

का. नि. आ. 206.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, परिवार नियोजन संगठन (चिकित्सा अधिकारी) (परिवार नियोजन) भर्ती नियम 1972 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, परिवार कल्याण संगठन में चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, परिवार कल्याण संगठन, चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) भर्ती नियम 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
चिकित्सा अधिकारी	4* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	3000-100-3500-125-4500 रुपए धन प्रेक्टिसबंदी भत्ता, नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग दो (लाइसेंसिएट अर्हताओं से भिन्न) में दी गई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग दो में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तों को भी पूरा करना चाहिए। (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विशेषता में स्नातकोत्तर अर्हता या समतुल्य। (3) विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री धारियों के लिए तीन वर्ष का अनुभव और स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारियों के लिए 5 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय

निरोधक और सामाजिक अन्वेषण में अनुभव

भर्ती का पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (स्था.) —सदस्य 3. उपमहानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा —सदस्य समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे) — 1. संयुक्त सचिव (स्था.) —अध्यक्ष 2. उपमहानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा —सदस्य टिप्पण :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा० सं० 19001/डी०जी०ए०एफ०एम०एस०/डी०जी०-3 डी०]

आर० आर० कौशल, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd August, 1988

S.R.O. 206.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Family Planning Organisation (Medical Officers) (Family Planning) Recruitment Rule, 1972, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the folowing rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Officer (Family Welfare) in the Family Welfare Organisation in the Ministry of Defence, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Family Welfare Organisation Medical Officer (Family Welfare) Recruitment Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classifiction and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifictions and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4		6
Medical Officer	4* (1988) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'A' Gazetted non-ministerial.	Rs. 3000-100-3500 125-4500-plus NPA as admissible under the rules.	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

Whether the benefits of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules 1972	Educational an other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
7	8	9
No	Essential : (i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of Third Schedule (other than Licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the said Act. (ii) Post-graduate qualification in any speciality from a recognised University or equivalent. (iii) 3/5 years experience in the speciality for Post-Graduate degree/diploma holders respectively. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the scheduled Tribes if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. DESIRABLE : Experience in preventive and social medicine.	N.A.

Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt by promotion/ deputation/transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
10	11	12	13	14
One year for direct recruit	By promotion failing which by direct recruitment	PROMOTION . Lady Medical Officer (FW) with 5 years regular service in the grade	Group 'A' DPC (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairman/Member UPSC —Chairman 2. Joint Secretary (E) —Member 3. Deputy Director General, Armed Forces Medical Services. —Member Group 'A' DPC (for considering confirmation) consisting of— 1 Joint Secretary (E) —Chairman 2 Deputy Director General Armed Forces Medical Service —Member Note . The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Union Public Service Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a member of the UPSC shall be held	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct rectt

[F. No. 19001/DGAFMS/DG 3D]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd August, 1988

S.R.O. 207.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 56 dated the 25th February, 1988 published in the Gazette of India, Part II, Section 4 dated the 19th March 1988 for "Rs 1400-40-1800 EB-2300" read "1400-40-1800-EB-2300".

[File No. Air Hq./23049/409/PC 3A]
R R KOSHAL, Under Secy.

2128 GI/88—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1988